



कार्यालय उपनिदेशक (निर्माण),  
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ०प्र०,  
सी-8, दीनदयालनगर, कांठ रोड, मुरादाबाद।

पत्रांक: नि०ख०मु०रा०/(ई-निविदा)/2026-75

दिनांक:- 18/4/2026


ई-निविदा सूचना

मण्डी परिषद निर्माण खण्ड मुरादाबाद क्षेत्रान्तर्गत अधोलिखित तालिका में अंकित कार्य हेतु वित्तीय रूप से सुदृढ एवं अनुभवी मण्डी परिषद में पंजीकृत ठेकेदारों से ई-निविदा दिनांक 11.05.2026 को शाम 5:00 बजे तक ऑनलाइन आमन्त्रित की जाती है। ऑनलाइन निविदा वेबसाइट-<https://etender.up.nic.in> पर दिनांक 20.04.2026 को प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 11.05.2026 की शाम 5.00 तक डाउनलोड कर अपलोड की जा सकती है। निविदा की तकनीकी विड दिनांक 12.05.2026 को पूर्वान्ह 11.00 बजे एवं तकनीकी विड उपयुक्त पाये जाने के उपरान्त वित्तीय बिड कार्यालय में खोली जायेगी। उक्त निर्धारित तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाने एवं अपरिहार्य कारण होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस में उक्त निर्धारित समय के अनुसार ही तकनीकी विड व वित्तीय विड खोली जायेगी। कार्य का विवरण निम्नानुसार है।

क्र स	कार्य का नाम	निर्माण कार्य की लागत (लाख में) जी.एस.टी. रहित	निविदा का मूल्य 18% G.S.T. सहित (रु०में)	धरोहर धनराशि (लाख रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (माह में)	पंजीकृत श्रेणी
<b>जनपद-रामपुर</b>						
1	नवीन मण्डी स्थल मिलक में 30 नग 'स' श्रेणी की दुकानों का निर्माण कार्य तथा रिक्त स्थानों पर सी०सी० का कार्य। Tender ID-2026_RKUMP_1139014_1	209.54	29500.00	12.50	9 माह	'अ'

नोट:-

- (1) ई-निविदा के साथ नान रिफंडेबिल निविदा मूल्य ऑनलाइन भारतीय स्टेट बैंक (IFSC Code SBIN0004215) के खाता सं० 30394551295 में जमा कराकर जमा रसीद ई-निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- (2) धरोहर धनराशि की धनराशि ऑनलाइन भारतीय स्टेट बैंक (IFSC Code SBIN0004215) के खाता सं० 30394551477 में जमा कराकर जमा रसीद ई-निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- (3) ई-निविदा स्वीकृति/अस्वीकृति करने का पूर्ण अधिकार उप निदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद, मुरादाबाद को होगा।
- (4) मण्डी परिषद मुख्यालय के आदेश पत्रांक: मु०अभि०ग्रेड-2/(1168)/2022-641, दिनांक 11.08.2022 में उल्लिखित व्यवस्था एवं शर्तों के अधीन "अ" एवं "ब" श्रेणी की निविदाओं में मण्डी परिषद के अतिरिक्त समान श्रेणी में (लो०नि०वि०, आर०ई०डी०, यू०पी०आर०एन०एन०, यू०पी०सी०एल०) में भवन कार्य हेतु भवन का एवं मार्ग विकास कार्यों के लिए मार्ग विकास कार्यों हेतु पंजीकृत फर्म/ठेकेदार ही निर्धारित नियमों के अनुरूप प्रतिभाग कर सकेंगे।
- (5) परिषद पत्रांक: मु०अभि०-2/(1168/भाग-4/2005)/2022-1190 दिनांक 17.11.2022 द्वारा निविदाओं की पारदर्शिता बनी रहे तथा और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त हो सके, हेतु अन्य चार विभागों में पंजीकृत ('अ' श्रेणी, 'ब' श्रेणी) तथा विभाग में 'अ', 'ब', 'स' श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार Standard Bidding Documents (S.B.D) में Qualification of Bidders के Section 4.6 में दी गई व्यवस्था के अनुसार निविदाओं में प्रतिभाग कर सकेंगे।
- (6) निविदा के साथ जिलाधिकारी महोदय से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र टी०-4, हैसियत प्रमाण पत्र-टी०-5 की छायाप्रति स्वप्रमाणित तथा 40.00 लाख से अधिक टी-2 Section -3 को 100/- के स्टाम्प पर नोटरी कराकर व टी०-6 नोटरी द्वारा प्रमाणित कराकर मूलरूप निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- (7) मण्डी परिषद में पंजीकृत (अ) श्रेणी के ठेकेदार की निविदाओं में प्रतिभाग कर सकेंगे।
- (8) ठेकेदार को निविदा के साथ रु० 10.00 के स्टाम्प पेपर पर पंजीकरण के विरुद्ध वर्तमान में निर्माणाधीन अवशेष कार्यों की लागत का विवरण संलग्न करना होगा।
- (9) निविदा के साथ रु०100.00 का स्टाम्प पेपर रु०1.00 रसीदी टिकट लगाकर हस्ताक्षर सहित निविदा की वैधता 90 दिन लिखकर अवलोड करना अनिवार्य होगा।
- (10) अनुबन्ध में निर्धारित कार्य समाप्ति की तिथि तक कार्य पूर्ण करना होगा, यदि निर्धारित कार्य समाप्ति की तिथि तक कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो 40.00 लाख के अधिक के कार्यों में टी-2 के अनुसार अर्थदण्ड अरोपित किया जायेगा।
- (11) ठेकेदार/फर्म को 10/- के स्टाम्प पर कार्य प्रोग्राम चार्ज लगाना अनिवार्य होगा।
- (12) ऐसे ठेकेदार/फर्म जिनके विरुद्ध Debar की कार्यवाही चल रही हो, ऐसी दशा में निविदा में प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे।
- (13) क्रमांक 12 पर वर्णित शर्त के सम्बन्ध में 10 रु० के स्टाम्प पर शपथ-पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- (14) मुख्य नियम व शर्तें एवं सामान्य नियम व शर्तें कार्यालय अवधि में तथा वेबसाइट [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पर एवं उक्त निर्धारित अवधि में कार्यालय/ऑनलाइन देखी/डाउनलोड की जा सकती है।
- (15) आमन्त्रित निविदा में टी-2 के अनुसार कार्य के समान प्रकृति का अनुभव ही मान्य होगा जो विगत 05 वर्ष के अन्दर का ही हो।

  
उपनिदेशक (निर्माण)

**मुख्य शर्त :- प्रकाशन हेतु नहीं**

- (1) निविदा की वैधता 90 दिन होगी। वैधता की अवधि में निविदा को वापस नहीं किया जा सकेगा।
- (2) इच्छुक निविदादाता अधिक जानकारी कार्यालय उप निदेशक (निर्माण), मण्डी परिषद, मुरादाबाद में किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र वेबसाइट-<https://etender.up.nic.in> पर दिनांक 20.04.2026 को प्रातः 10.00 से दिनांक 11.05.2026 की शाम 5.00 तक डाउनलोड कर अपलोड किये जा सकते हैं।
- (3) ई-निविदा के साथ नान रिफंडेबिल निविदा मूल्य उप निदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद, मुरादाबाद के नाम ऑनलाइन भारतीय स्टेट बैंक (IFSC Code SBIN0004215) के खाता सं० 30394551295 में आर०टी०जी०एस० से जमा कराकर जमा रसीद ई-निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- (4) निविदा सूचना विवरणानुसार धरोहर धनराशि उप निदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद, मुरादाबाद के नाम ऑनलाइन भारतीय स्टेट बैंक (IFSC Code SBIN0004215) के खाता सं० 30394551477 में जमा कराकर जमा रसीद ई-निविदा के साथ डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।
- (5) निविदा डालने हेतु निविदादाता को उपरोक्त वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। निविदा डालने हेतु निविदादाता के पास किसी सर्टिफाइंग प्राधिकरण द्वारा जारी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसके न होने पर निविदा डालना सम्भव नहीं होगा।
- (6) वस्तु एवं सेवाकर (जी०एस०टी०) की कटौती ठेकेदारों के देयकों से नियमानुसार की जायेगी।
- (7) लेबर सेस की कटौती ठेकेदारों के देयकों से नियमानुसार की जायेगी।
- (8) ई-टेंडरिंग के माध्यम से ऑनलाइन निविदा वेबसाइट-<https://etender.up.nic.in> पर सबमिट करने की अंतिम तिथि 11.05.2026 की सायं 05.00 बजे तक तकनीकी बिड दिनांक 12.05.2026 को प्रातः 11.00 बजे एवं तकनीकी विड उपयुक्त पाये जाने के उपरान्त वित्तीय बिड अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में खोली जायेगी।
- (9) फाइनेशियल बिड खुलने के बाद सभी निविदादाताओं को वेबसाइट पर अपलोड किये शपथ-पत्र इत्यादि मूलरूप में कार्यालय में तत्काल जमा किया जाना अनिवार्य है।
- (10) आई०टी०वी० के अनुसार कोई भी निविदादाता जिनका सम्बन्धी अथवा उनकी पत्नी का कोई निकट सम्बन्धी (प्रथम रक्त सम्बन्धी अथवा उनकी पत्नी) खण्डीय लेखाधिकारी के रूप में कार्यरत हो अथवा संयुक्त निदेशक (निर्माण) स्तर से अवर अभियंता स्तर तक (दोनों को सम्मिलित करते हुए) कार्यदायी खण्ड में कार्यरत होगा, वह निविदा डालने के लिये योग्य नहीं होगा। निविदादाता द्वारा यह शपथ-पत्र भी दिया जायेगा, जिसमें उसके सम्बन्धियों के नाम तथा उनके पदनाम का उल्लेख होगा, जो कि कार्यदायी खण्ड एवं उससे संबंधित जोन में कार्यरत हो।
- (11) आई०टी०वी० के अनुसार कोई अभियंता अथवा राजपत्रित अधिकारी जो कि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के प्रशासनिक विभाग में कार्यरत हो सेवानिवृत्ति की अवधि दो वर्ष के बाद तक बिना सरकारी के अनुमति के ठेकेदारी के काम के लिये प्रतिबन्धित होंगे। ऐसी स्थिति में यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि/कर्मचारी ने निविदा डालने से पहले राज्य सरकार से अनुमति नहीं ली है तो उसका ठेका निरस्त किया जा सकता है। निविदादाता द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- (12) निविदा से संबंधित विवरण निविदा डालने हेतु योग्यता एवं पात्रता झाईंग, विशिष्टियों, मात्राओं का विवरण एवं ठेके की अन्य शर्तों जिनका ठेकेदार द्वारा पालन किया जाना है, को संबंधित उप निदेशक (निर्माण) के कार्यालय में किसी कार्य दिवस में देखा जा सकाता है।
- (13) ऐसे निविदादाता जिनका आपराधिक रिकार्ड है।, वह टेंडर प्रक्रिया में भागीदारी नहीं कर सकेंगे।
- (14) कोई भी निविदादाता जो राज्य विधि काउन्सिल में पंजीकृत हो, निविदा में प्रतिभाग करने से प्रतिबन्धित होंगे। (निविदा डालने के योग्य नहीं होंगे) वह बार काउन्सिल का सदस्य नहीं है, ऐसे प्रमाण/शपथ-पत्र की प्रति अपलोड करना अनिवार्य है।
- (15) निविदा के साथ रु. 100 का स्टॉम्प पेपर रु० 1.00 का रसीदी टिकट लगाकर हस्ताक्षरयुक्त अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- (16) प्रत्येक निविदादाता को ई-निविदा के मूल्यांकन हेतु रु० 100.00 के नान ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र पर शपथ पत्र ऑनलाइन देना अनिवार्य है।
- (17) निविदा के साथ शासनादेश संख्या: 4435/छ:पु०-14-06-50(7)/2006 दिनांक: 02.11.2006 के अनुसार जिलाधिकारी महोदय से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र टी०-4, हैसियत प्रमाण पत्र-टी०-5 प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्व-प्रमाणित टी-2 Section -3 को 100/-के स्टाम्प पर नोटरी कराकर व टी०-6 नोटरी द्वारा प्रमाणित कराकर मूलरूप तथा टी-2 स्वप्रमाणित अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- (18) कार्यों की मात्रा में आवश्यकतानुसार विचलन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा। जिसके लिये निविदादाता बाध्य होगा।
- (19) विस्तृत विवरण तथा अन्य नियम व शर्तें कार्यालय एवं बिडिंग डाक्यूमेंट में देखी जा सकती है निविदा हेतु सिस्टम तकनीकी समस्या होने अथवा किसी प्रकार के विलम्ब के लिए मण्डी परिषद उत्तरदायी नहीं होगा।
- (20) ठेकेदार निविदा डालने से पूर्व कार्य स्थल का निरीक्षण कर लें।
- (21) विभाग किसी भी निविदा को कोई कारण बताये बिना अस्वीकृत/निरस्त कर सकता है।
- (22) ठेकेदार को भुगतान से पूर्व एम०एम०-11 मूलरूप में प्रस्तुत करना होगा अन्यथा रायल्टी के अतिरिक्त श०स० 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 एवं प्रमुख अभियंता उ०प्र० लोक०नि०वि० (भवन विंग) लखनऊ के पत्रांक 1849/5 बी०पी० विंग/2015 दिनांक 18.11.2015 के अनुसार रायल्टी का पॉच गुना ठेकेदार के देयक से वसूल कर लिया जायेगा।

- (23) पंजीकरण में दर्शाये गये तकनीकी स्टाफ आदि से सम्बन्धित सूचनाएं व अभिलेख के लिए लो0नि0वि0 के आदेश पत्रांक-113 कैम्प/प्र0अ0 विकास/03(मु0-1)/23 द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- (24) शासनदेश संख्या 746/36-2-14 दिनांक 07.06.2014 के कार्य के चालू देयको से भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 की धारा-3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत एक प्रतिशत उपकर सेस की कटौती की जायेगी तथा सम्बन्धित ठेकेदार को अनुबन्ध गठन के 15 दिवसों के अन्दर श्रम विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
- (25) निविदा स्वीकृति उपरान्त एक सप्ताह (7 दिवस में) अवशेष धरोहर धनराशि की एफ0डी0आर0 प्रस्तुत कर, अनुबन्ध गठन कराना अनिवार्य होगा।
- (26) शासनादेश संख्या 17/2024/सा0-113/23-1-2024-23-1099/113/2023 दिनांक 16 जनवरी 2024 लोक निर्माण अनुभाग-1, उ0प्र0 लखनऊ के क्रम में मा0 संचालन मण्डल की 170 वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार मार्गों के नवनिर्माण कार्य हेतु निविदादाता फर्म/ठेकेदार हेतु कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि से 05 वर्ष (पाँच वर्ष) तक अनुरक्षण समय अवधि (Defect Liability Period) रहेगी। कार्य पूर्ण होने के एक वर्ष तक कोई अनुरक्षण के मद में कोई भुगतान नहीं किया जायेगा। शेष चार वर्षों में नियमानुसार निर्धारित सीमा के अन्तर्गत अनुरक्षण चार्ज का भुगतान किया जायेगा। पी0एम0जी0एस0वाई योजना के अनुसार 10 प्रतिशत जमानत धनराशि में से 2.50 प्रतिशत धनराशि कार्य पूर्ण होने के 45 दिनों बाद, द्वितीय वर्ष पूर्ण होने पर 1.25 प्रतिशत, तृतीय वर्ष पूर्ण होने पर 1.25 प्रतिशत एवं शेष 05 प्रतिशत 05 वर्ष पूर्ण होने पर समय-समय पर क्षतिग्रस्त भाग की गुणवत्ता पूर्ण तरीके से मरम्मत कराये जाने पर व कार्य संतोषजनक स्थिति में होने पर ही जमानत धनराशि चरणबद्ध तरीके से अवमुक्त की जायेगी साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि यदि गुणवत्ता में कोई कमी पायी जाती है तो अनुबन्ध की शर्तों एवं पंजीकरण नियमावली के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी एवं कोई अनुरक्षण चार्ज का भुगतान नहीं किया जायेगा। शासन/मण्डी परिषद लखनऊ द्वारा अनुरक्षण/डिफेक्ट लायबिलिटी से सम्बन्धित कोई परिवर्तन किया जाता है तो उस सीमा तक आदेश मान्य होगा।
- (27) अन्य राजकीय विभागों में पंजीकृत निविदादाता की निविदा यदि प्रथम न्यून प्राप्त होती है तो मण्डी परिषद में पंजीकरण हेतु वॉछित समस्त अभिलेख एवं निर्धारित शुल्क सहित प्रार्थना पत्र 03 दिवस के अन्दर सम्बन्धित निर्माण खण्ड स्तर पर प्रस्तुत किया जाएगा। पंजीकरण के सम्बन्ध में परिषद मुख्यालय से समय-समय पर निर्गत कार्यालय ज्ञाप एवं निर्देशों के अनुसार उपनिदेशक (निर्माण) द्वारा अपनी संस्तुति एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित करनी होगी। परिषद मुख्यालय की समस्त कार्यवाही 15 दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से पूर्ण करा ली जायेगी।
- (28) अनुरक्षण की अवधि कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि से प्रारम्भ हो जायेगी तथा उसके आगामी 5 वर्ष तक रहेगी, दोष निवारण की अवधि 5 वर्ष की होगी किन्तु पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर यदि मार्ग की दशा संतोषजनक नहीं है तो दोष निवारण अवधि आगे जारी रहेगी, जब तक कि दोष निवारण अवधि पूर्णता प्रमाण पत्र (DLP complete Certificate) प्राप्त नहीं कर लिया जाता। बढ़ी हुई अवधि के लिए ठेकेदार को कोई अतिरिक्त भुगतान अनुमन्य नहीं होगा। अतः धरोहर धनराशि पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत होने के उपरान्त ही देय होगी।
- (29) प्रथम वर्ष में यद्यपि कोई भुगतान नहीं किया जाना है किन्तु मार्ग दोष निवारण अवधि के अन्तर्गत होने के कारण ठेकेदार मार्ग को पूर्णरूपेण सही दशा में रखेगा।
- (30) कार्य में विलम्ब हेतु कोई औचित्यपूर्ण कारण न होने की स्थिति में टी0-2 के अनुसार अर्थदण्ड अरोपित किये जायेगा।
- (31) बिटुमिन (IOCL/BPCL/HPCL) Refinery से ठेकेदार द्वारा स्वयं क्रय कर प्रयोग करना होगा तथा बिल की मूल प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (32) सीमेन्ट (ओ0पी0सी0 43-ग्रेड) एवं सरिया भारतीय मानक संस्थान से प्रमाणित परफार्मेंस (Fe-500) नियमानुसार बहु विख्यात कम्पनियों का ही प्रयोग किया जायेगा।
- (33) प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 महोदय के आदेश दिनांक 9 अगस्त 2024 के अनुपालन के क्रम में 10 प्रतिशत Below निविदाओं में कोई परफार्मेंस सिक्वोरिटी नहीं ली जायेगी तथा 10 प्रतिशत से अधिक Below निविदाओं में 1 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त परफार्मेंस सिक्वोरिटी ली जायेगी।
- (34) नेशनल ग्रीन ट्रिव्यूनल (एन0जी0टी0) के निर्देश के अनुरूप पोल्यूशन कन्ट्रोल के समस्त मानको का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (35) बिड कैपेसिटी में दर्शाये गये अवशेष कार्यों के सम्बन्ध में अवशेष कार्यों की लागत सहित सूची संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (36) परिषद पत्रांक: मु0अभि0-2/(1168/भाग-4/2005) /2022-1190 दिनांक 17.11.2022 द्वारा निविदाओंकी पारदर्शिता बनी रहे तथा और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त हो सकें हेतु अन्य विभाग समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को **Standard Bidding Document (S.B.D.) में Qualification of Bidders के Section 4.6** में दी गयी व्यवस्था के अनुसार बिड कैपासिटी की गणना संलग्न कराना अनिवार्य होगा, जो निम्न प्रकार है:-
- (F) Bid Capacity-The bidder should have the assessed available Bid capacity as per formula (ANM-B) should be greater than Estimated Value of the Work.  
 $A = \text{Maximum Value of Civil Engineering works executed in any one year during the last five years (updated to current Financial Year price level @ 8\% a year) taking into account the completed as well as works in progress.}$   
 $N = \text{Number of years prescribed for completion of the works for which tenders are invited.}$

(M = 0.50 if time of completion of work is less then 6 months)

(=01 if time of completion is greater then 6 months and less then equal 12 months)

B= Value of existing commitments and on going works to be completed during the period of completion of the project for which tenders are invited.

टि :- If the bidder participates in more then one bid, the bid capacity for the second bid shall be calculated by deducting the work cost of first bid.

उप निदेशक (निर्माण)  
मण्डी परिषद, मुरादाबाद

प्रकाशन के लिए नहीं

पृष्ठांकन सं०:

/ तद्दिनांक:

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्पादक/व्यवस्थापक, दैनिक विधान केसरी, मुरादाबाद, दैनिक जागरण, मुरादाबाद एवं दैनिक प्रावदा मुरादाबाद को इस आशय से कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन सरकारी दरों पर अपने समाचार पत्र में कम से कम (फोन्ट-9) स्थान एवं छोटे से छोटे अक्षरों में (एक दिन के लिए) प्रकाशित कराकर समाचार पत्रों की पाँच प्रतियाँ दरों को जिला सूचना अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए बिल इस कार्यालय को प्रेषित करें।
2. जिलाधिकारी महोदय, रामपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, उ०प्र०, लखनऊ। (मैसेज बाक्स)
4. संयुक्त निदेशक(निर्माण) जोन-2, मण्डी परिषद, नवीन मण्डी स्थल, पीलीभीत रोड, बरेली। (मैसेज बाक्स)
5. उपनिदेशक(प्र०/वि०)/सं०लेखाधिकारी, मण्डी परिषद, मुरादाबाद।
6. सचिव/सभापति, सम्बन्धित मण्डी समिति, / (मैसेज बाक्स)
7. समस्त उपनिदेशक(निर्माण), मण्डी परिषद, उ०प्र०। (मैसेज बाक्स)
8. समस्त पंजीकृत ठेकेदार मण्डी परिषद, मुरादाबाद।
9. संगणक/सम्बन्धित अवर अभियन्ता, मण्डी परिषद, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ कि निर्धारित तिथि तक निविदा अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
10. सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।

उपनिदेशक(निर्माण)  
मण्डी परिषद, मुरादाबाद